576

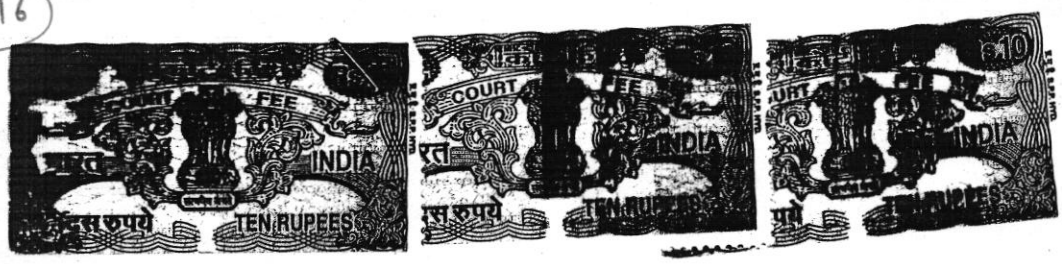

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक: २०१७ निगरानी

III/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/3549

१- सेवाराम पुत्र हरीशंकर,

२- [illegible] हरेन्द्र पुत्र सेवाराम

निवासीगण ग्राम दुल्हागन, तेहसील अटेर, जिला भिण्ड-मध्यप्रदेश ।

------- प्रार्थीगण

दिनांक 26.9.17 को श्री ... द्वारा प्रस्तुत

26.9.17

पे. 4.10.17

26/9/17

विरुध्द

१- उर्मिला शर्मा वेवा वासुदेव शर्मा,

२- पवन |
३- राहुल | पुत्रगण वासुदेव शर्मा
४- अभिषेक |

५- गुरूनारायण पुत्र हरीशंकर,
समस्त निवासीगण ग्राम दुल्हागन, तेहसील अटेर, जिला भिण्ड-मध्यप्रदेश ।

----- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुध्द आदेश नायब तेहसीलदार महोदय, सुरपुरा, तेहसील-अटेर दिनांक १-०६-१७, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९- प्र०क्र० ७४/१६-१७-अ-२७ ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

क्रमश:---२

XXIX(a)-BR(H)-11

376

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/3549

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15-5-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	